निर्वाचन

और

निर्वाचक

सत्यमेव जयते

V2:91
J6
52660

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली ।
दिसम्बर, १९५६

आमुख

इस पुस्तिका का उद्देश्य सदस्यों को निर्वाचन सम्बन्धी मामलों के कुछ पहलुओं के सम्बन्ध में मूलभूत जानकारी देना है। विस्तृत अध्ययन के लिए वे मूल दस्तावेजों, निर्वाचन सम्बन्धी विधि तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों को पढ़ सकते हैं।

नई दिल्ली,
दिसम्बर, १९५६

महेश्वर नाथ कौल,
सचिव।

2310 LS—1

विषय-सूची

क्रम संख्या		पृष्ठ
	आमुख	
१	निर्वाचन आयोग : उसका क्षेत्र तथा कृत्य	१
२	प्रथम सामान्य निर्वाचन : सांख्यिकीय संक्षेप	२-३
३	राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन	४
४	भारत में निर्वाचन की विधि : कुछ नये परिवर्तन	५-६
५	भारत में विभिन्न विधान-मंडलों का गठन	७-९
६	संसद् और राज्यों के विधान-मंडलों की सदस्यता के लिये अर्हतायें	१०-११
७	संसद् और राज्यों के विधान-मंडलों की सदस्यता के लिये अनर्हतायें	१२-१३
८	नाम-निर्देशन-पत्र	१४—१७
९	निर्वाचन अभिकर्ता	१८
१०	निर्वाचन-व्यय	१९-२०
११	भ्रष्ट आचरण	२१
१२	निर्वाचन संबंधी अपराध	२२-२३
१३	निर्वाचन याचिका	२४-२६
१४	निर्वाचन न्यायाधिकरण और निर्वाचन याचिकाओं सम्बन्धी परीक्षण	२७-२८
१५	इच्छुक उम्मीदवारों के लिए उपयोगी बातें	२९-३०

२

प्रथम सामान्य निर्वाचन

सांख्यिकीय संक्षेप

नये संविधान के अधीन वयस्क मताधिकार के आधार पर संचालित भारत का प्रथम सामान्य निर्वाचन इतिहास में लोक-तंत्रात्मक मताधिकार का सबसे बड़ा प्रयोग था। ये निर्वाचन १० सितम्बर, १९५१ को, जब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १५ और १७ के अधीन हिमाचल प्रदेश के बारे में प्रथम अधिसूचनायें निकाली गयीं थीं, आरम्भ होकर ४ जून, १९५२ को, जब पश्चिमी बंगाल विधान परिषद् के लिये निर्वाचन सम्पन्न हुआ, समाप्त हुये।

स्थानों की कुल संख्या, जिनके लिये निर्वाचन किये गये, ४,५०५ थी, जिनमें कच्छ, मनीपुर और त्रिपुरा के तीन निर्वाचक-गणों के ९० स्थान भी सम्मिलित थे। विधान-मंडलों के ४,४१५ सदस्यों में से ३,७७२ उम्मीदवारों का प्रत्यक्ष निर्वाचन और ५४६ का अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ और ९७ का नामनिर्देशन किया गया।

परिषदों के निर्वाचन-क्षेत्रों को मिलाकर निर्वाचन-क्षेत्रों की कुल संख्या ३,२९३ थी।

निर्वाचन के निम्नलिखित कुछ तथ्यों से ज्ञात होगा कि प्रथम सामान्य निर्वाचन कितने बड़े पैमाने पर संचालित किये गये थे :

(१) लोक-सभा के लिये निर्वाचन के हेतु २,८३३ व्यक्तियों के संबंध में कुल ५,१५५ नाम-निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये गये। राज्यों की विधान-सभाओं के लिये २३,२८७ उम्मीदवारों के संबंध में नामनिर्देशन-पत्रों की संख्या ४२,२४४ थी।

(२) लोक-सभा के ४८९ स्थानों के लिये चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या १,८७४ थी। बाईस राज्यों की विधान-सभाओं के ३,२८३ स्थानों और निर्वाचक-गणों के ९० स्थानों के लिये चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्रमश: १५,३६१ और २६५ थी।

(३) मतदाताओं की कुल संख्या १७,३२,१३,६३५ थी जिसमें से ८,८६,१२,१७१ ने संसद् के लिये निर्वाचनों के हेतु अपने मतदान किये--कुल मतदान ५१.१५ प्रतिशत था। मतदान की प्रतिशतता प्राय: बहुत अच्छी रही और सम्पूर्ण देश का औसत मतदान पचास प्रतिशत से अधिक था; त्रावनकोर-कोचीन में ८० प्रतिशत तक मतदान हुआ था।

(४) देश भर में कुल १,३२,५६० मतदान-केन्द्र बनाये गये थे, जिनम १,९६,०८४ मतदान-स्थान थे।

(५) इस्पात की बनी २४,७३,८५० शलाका पेटियां प्रयोग म लाई गयीं, इसके अतिरिक्त लकड़ी की बनी १,११,०६५ शलाका पेटियां भी थीं। इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल लागत १ करोड़ २२ लाख रुपये से अधिक रही।

(६) ६० करोड़ मतदान-पत्रों के लिये कुल १८० टन कागज प्रयोग किया गया जिसकी लागत लगभग ११ लाख रुपये थी।

(७) १९४८ से १९५२ में निर्वाचनों के सम्पन्न होने तक, निर्वाचनों पर किया गया कुल व्यय १०४ करोड़ रुपये के लगभग था। इसमें से भारत सरकार ने लगभग ५ करोड़ रुपये दिये।

मतदान के दौरान में या मतदान के बारे में निर्वाचन संबंधी अपराधों की संख्या १२५० थी। यह देखते हुये कि ८ करोड़ ८६ लाख मतदाताओं ने, वास्तव में, मतदान किया था, यह संख्या कम ही है, जिससे यह प्रकट होता है कि देश भर में किस प्रकार विधि का पालन करते हुये और शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचनों का संचालन हुआ था।

३
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन[१]

कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि वह क्रमशः लोक-सभा अथवा राज्य-सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिये अन्यथा अर्ह न हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो। किन्तु, भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करना उम्मीदवार के निर्वाचन के लिये अनर्हता होगी। किन्तु कोई व्यक्ति कोई लाभ का पद धारण किये हुये केवल इसीलिये नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा या तो संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति न तो संसद् के किसी सदन का, और न किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन का सदस्य हो सकता है तथा यह समझा जायेगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद-ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सब शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम है। किसी निर्वाचन के औचित्य के बारे में निर्वाचन याचिका निर्वाचित उम्मीदवार के नाम की घोषणा के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उपस्थित करना अपेक्षित है।

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की पदावधि की, जो पांच वर्ष की होती है, समाप्ति से हुई रिक्तता की पूर्ति के लिये निर्वाचन अवधि-समाप्ति से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जाता है। यदि वह पद, उसकी मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाये जाने अथवा अन्य कारण से रिक्त होता है, तो निर्वाचन, रिक्तता होने की तारीख के पश्चात् यथा संभव शीघ्र और हर अवस्था में छः मास बीतने के पहिले, किया जाता है। रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्वाचित व्यक्ति अपने निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है।

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के उद्दिष्ट निर्वाचन के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा गजट अधिसूचना निकाली जाने पर, विहित प्रपत्र पर स्वयं उम्मीदवार द्वारा, नामनिर्देशन के लिये अनुमति देने के रूप में, तथा दो निर्वाचकों द्वारा, क्रमशः प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में, हस्ताक्षरित नाम-निर्देशन करना होता है जो कार्य इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् आठवें दिन से पहले नहीं और चौहदवें दिन के पश्चात् नहीं होना चाहिये।

निर्वाचन-पदाधिकारी उस कालावधि के, जिसके भीतर उम्मीदवारी से नाम वापिस लिया जा सकेगा, अवसान के पश्चात् मान्य नामनिर्देशनों की एक सूची तैयार करता है जो बाद में गजट में प्रकाशित की जाती है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक-गण के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें संसद् के दोनों सदनों के तथा राज्यों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गढ़ शलाका द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष और उसी पद्धति के अधीन होता ह, किन्तु राज्यों के विधान-मंडलों के सदस्य उसमें भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद् के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है।

---

[१]अनुच्छेद ५४ से ७१, भारत का संविधान।

४

भारत में निर्वाचन की विधि

कुछ नये परिवर्तन

भारत के संविधान में निर्वाचनों से संबंधित बातों के बारे में कुछ उपबन्ध निहित हैं। किन्तु निर्वाचन की विधि संबंधी विस्तृत बातों को विहित करने का कार्य संसद् द्वारा बाद में बनाये जाने वाले विधान पर छोड़ दिया गया था। इसलिये, निर्वाचन विधि का अधिकांश भाग संसद् द्वारा पारित दो विधानों–१९५० और १९५१ के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों और उनके अधीन बनाये गये नियमों में पाया जाता है।

प्रथम सामान्य निर्वाचनों में और तत्पश्चात् इन अधिनियमों के कार्यकरण में निर्वाचन आयोग और सरकार द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर, निर्वाचन प्रक्रिया तथा कार्यक्रम को सरल बनाने के उद्देश्य से उनमें अभी हाल में आवश्यक संशोधन किये गये हैं। इसके परिणामस्वरूप हुये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं :–

(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० के बारे में)

(१) निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने तथा उनके पुनरीक्षण के लिये प्रशासनिक व्यवस्था कर दी गई है।

(२) संसदीय और विधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों के लिये अलग-अलग नामावलियां तैयार करना, जिन के कारण अनावश्यक दोहरा काम तथा धन का व्यय होता था, अब आवश्यक नहीं है। अब प्रत्येक संसदीय-निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में आने वाले विधान-सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की, अथवा, यथास्थिति, निर्वाचक गणों के निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से बनेगी; और किसी भी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिये पृथक् रूप से निर्वाचक नामावली तैयार करना या उसका पुनरीक्षण करना आवश्यक न होगा।

(३) "सामान्य निवास" को "अर्हीकरण काल" के बजाय "अर्हीकरण तारीख" से सम्बद्ध बना दिया गया है जिससे कि किसी निर्वाचन-क्षेत्र में पंजीयन की शर्तें सरल बन गई हैं।

(४) सब प्रकार के विभेद को हटाने और प्रशासनिक कार्य को सुविधाजनक बनाने के भी उद्देश्य से, निर्वाचकों के पंजीयन के लिये, सशस्त्र बलों के सब सदस्यों के लिये एक एकसम नियम बना दिया गया है।

(५) प्रत्येक वर्ष निर्वाचक नामावली तैयार किये जाने के स्थान पर, संशोधित व्यवस्था यह है कि अर्हीकरण तारीख के निर्देश से केवल वार्षिक पुनरीक्षण की अपेक्षा है।

2310 LS—2

(६) अब निर्वाचक नामावलियों में नामों को सम्मिलित करने की व्यवस्था भी कर दी गई है। जब किसी निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन की घोषणा कर दी गई हो, उस स्थिति को छोड़ कर अन्य किसी अवस्था में, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिये, निर्वाचक पंजीयन पदाधिकारी से आवेदन किया जा सकता है। जब कोई निर्वाचन हो रहा हो तो आवेदन केवल राज्य के मुख्य निर्वाचक पदाधिकारी से किया जायेगा।

(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ के बारे में)

(१) निर्वाचन के लिये समाहूत करने की अधिसूचना निकाली जाने और मतदान के आरम्भ के बीच की कालावधि को कम कर दिया गया है।

(२) नामनिर्देशन पत्र को उपस्थित करने की प्रक्रिया को और मान्य नामनिर्देशनों की अपेक्षाओं को सरल बना दिया गया है।

(३) नामनिर्देशन पत्रों की पड़ताल की जटिलता कम कर दी गयी है। निर्वाचन पदाधिकारी के लिये यह अपेक्षित है कि वह मान्य रूप में नामनिर्देशित उम्मीदवारों की सूची पड़ताल समाप्त होने के तत्काल पश्चात् ही तैयार करे।

(४) किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की तारीख की परिभाषा अब निर्वाचन फल की तारीख कर दी गई है।

(५) याचिका को पूर्ण और स्वयं-पूर्ण बनाने के उद्देश्य से निर्वाचन याचिका से संबंधित धारा का संशोधन किया गया है।

(६) संशोधित विधि में एक-सदस्यीय निर्वाचन न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई है और न्यायाधिकरण द्वारा किये गये प्रत्येक आदेश की अपील उस राज्य के उच्च न्यायालय में होगी जिसमें न्यायाधिकरण स्थित है। निर्वाचन याचिकाओं का स्थानान्तरण एक न्यायाधिकरण से दूसरे न्यायाधिकरण को करने की शक्ति भी निर्वाचन आयोग को दी गई है।

५

भारत में विभिन्न विधान-मण्डलों का गठन

[राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) अधिनियम, १९५६, और संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, १९५६ के अधीन]

स्थानों का बटवारा

लोक-सभा

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की तीसरी अनुसूची के अनुसार प्रत्येक राज्य को और संघ राज्य-क्षेत्रों को बांटे गये स्थानों की संख्या निम्नलिखित है :—

१.	आंध्रप्रदेश	४३
२.	आसाम	१२
३.	उड़ीसा	२०
४.	उत्तर प्रदेश	८६
५.	केरल	१८
६.	जम्मू और कश्मीर	६
७.	पंजाब	२२
८.	पश्चिमी बंगाल	३४*
९.	बम्बई	६६
१०.	बिहार	५५*
११.	मद्रास	४१
१२.	मध्य प्रदेश	३६
१३.	मैसूर	२६
१४.	राजस्थान	२२
१५.	दिल्ली	५
१६.	हिमाचल प्रदेश	४
१७.	त्रिपुरा	२
१८.	मनीपुर	२
	योग	५००

*बिहार तथा पश्चिमी बंगाल को बांटे गये स्थान की संख्या में, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) अधिनियम, १९५६ के पारित होने के फलस्वरूप, परिवर्तन हो गया है और अब इन की संख्या बिहार के लिए ५३ और पश्चिमी बंगाल के लिए ३६ है

संविधान के अनुच्छेद ८१ म, संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, १९५६ द्वारा संशोधित रूप में, यह उपबन्ध है कि लोक-सभा—

(क) राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुये पांच सौ से अनधिक सदस्यों; और

(ख) संघ राज्य-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिये, ऐसी रीति से जैसी कि संसद् विधि द्वारा उपबन्धित करे, चुने हुये बीस से अनधिक सदस्यों;

से मिल कर बनेगी ।

राज्य-सभा

संविधान (सातवां संशोधन) अधि नियम, १९५६ के अनुसार राज्य-सभा में स्थानों का बटवारा निम्नलिखित है :—

१. आंध्र प्रदेश	१८
२. आसाम	७
३. उड़ीसा	१०
४. उत्तर प्रदेश	३४
५. केरल	९
६. जम्मू और कश्मीर	४
७. पंजाब	११
८. पश्चिमी बंगाल	१६
९. बम्बई	२७
१०. बिहार	२२
११. मद्रास	१७
१२. मध्य प्रदेश	१६
१३. मैसूर	१२
१४. राजस्थान	१०
१५. दिल्ली	३
१६. हिमाचल प्रदेश	२
१७. त्रिपुरा	१
१८. मनीपुर	१
योग	२२०

विधान-सभाएं

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ के पारित होने के फलस्वरूप विभिन्न विधान-सभाओं को बांटे गये स्थानों की संख्या निम्नलिखित है :—

१.	आंध्र प्रदेश	३०१
२.	आसाम	१०८
३.	उड़ीसा	१४०
४.	उत्तर प्रदेश	४३०
५.	केरल	१२६
६.	पंजाब	१५४
७.	पश्चिमी बंगाल	२३८*
८.	बम्बई	३९६
९.	बिहार	३३०*
१०.	मद्रास	२०५
११.	मध्य प्रदेश	२८८
१२.	मैसूर	२०८
१३.	राजस्थान	१७६

विधान-परिषदें

उन राज्यों की विधान-सभाओं में, जहां द्विसदनीय विधान-मंडल हैं, स्थानों का बटवारा निम्नलिखित होगा :–

राज्य का नाम	कुल स्थानों की संख्या, जिसमें नामनिर्दिष्ट सदस्य सम्मिलित हैं	नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या
उत्तर प्रदेश	७२	१२
पंजाब	४०	८
पश्चिमी बंगाल	५१	९
बम्बई	७२	१२
बिहार	७२	१२
मद्रास	४८	८
मध्य प्रदेश	७२	१२
मैसूर	५२	८

*बिहार तथा पश्चिमी बंगाल को बांटे गये स्थानों की संख्या में, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) अधिनियम, १९५६ के अधीन, परिवर्तन करके उसे क्रमश: ३१८ और २५२ रखा गया ।

६

संसद् और राज्यों के विधान-मण्डलों की सदस्यता के लिए अर्हतायें

सांविधानिक उपबन्ध[1]

[संसद् या राज्यों के विधान-मंडलों की सदस्यता के लिए

कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल के लिये चुना जा सकता है, जो भारत का नागरिक हो और राज्य-सभा या किसी विधान-परिषद् के स्थान के लिये तीस वर्ष से कम आयु का न हो तथा लोक-सभा या किसी विधान-सभा के स्थान के लिये पच्चीस वर्ष से कम आयु का न हो, और जो ऐसी अन्य अर्हतायें रखता हो जो कि इस बारे में संसद्-निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन विहित की जायें और अन्यथा अनर्ह न हो।

संविहित उपबन्ध

लोक-सभा की सदस्यता के लिए

लोक-सभा[2] की सदस्यता के लिये संसद् द्वारा नियत की गयी अतिरिक्त अर्हतायें निम्न-लिखित हैं :

(क) उम्मीदवार को किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिये निर्वाचक होना चाहिये।

(ख) इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों (आसाम के स्वायत्तशासी जिलों की अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों को छोड़कर) के लिये रक्षित स्थान के लिये निर्वाचन के हेतु, उम्मीदवार को, यथा-स्थिति, उन जातियों या आदिमजातियों का सदस्य होना चाहिये; आसाम के स्वायत्तशासी जिलों के लिये रक्षित स्थान की अवस्था में उसे उन अनुसूचित आदिमजातियों में से किसी एक का सदस्य और उस विशिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र के लिये निर्वाचक होना चाहिये।

राज्य-सभा की सदस्यता के लिए[3]

राज्य-सभा में, किसी राज्य के (जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़ कर) या संघ राज्य-क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए किसी उम्मीदवार को उस राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र के किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक होना चाहिए।

---

[1] अनुच्छेद ८४ और १७३—भारत का संविधान

[2] धारा ४, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१।

[3] धारा ३, वही।

किसी विधान-सभा की सदस्यता के लिए[1]

किसी राज्य की विधान-सभा में किसी स्थान के लिए उम्मीदवार को उस राज्य की विधान-सभा के किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक होना चाहिये। जहां अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम-जातियों के लिए स्थान रक्षित हो वहां उसे, इसके अतिरिक्त, यथास्थिति, उन अनुसूचित जातियों या आदिमजातियों का सदस्य भी होना चाहिये। आसाम के किसी स्वायत्तशासी जिले के लिए किसी रक्षित स्थान की अवस्था में कोई उम्मीदवार उस स्थान के लिए तब तक अर्ह न होगा जब तक कि वह उस जिले की किसी अनुसूचित आदिमजाति का सदस्य न हो और उस विधान-सभा के किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो जिसमें उस जिले के लिए वह स्थान या कोई अन्य स्थान रक्षित है।

किसी विधान-परिषद् की सदस्यता के लिए[2]

किसी राज्य की विधान-परिषद् के ऐसे स्थान की पूर्ति के लिए जिसे निर्वाचन द्वारा भरा जाना हो, उम्मीदवार को उस राज्य की विधान-सभा के किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक होना चाहिए। कोई व्यक्ति नामनिर्देशन द्वारा भरे जाने वाले स्थान के लिये तब तक अर्ह न होगा जब तक कि वह उस राज्य का सामान्यतः निवासी न हो।

---

[1] धारा ५, वही।

[2] धारा ६, वही।

७

संसद् और राज्यों के विधान-मण्डलों की सदस्यता के लिए अनर्हतायें

भारत के संविधान के अनुच्छेद १०२ और १९१ में संसद् के दोनों सदनों और किसी राज्य की विधान-सभा या विधान-परिषद् की सदस्यता के लिए निम्नलिखित अनर्हतायें रखी गयी हैं :—

(क) **संसद् के लिये :** यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है;

राज्य विधान मण्डलों के लिये : यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़ कर जिसे धारण करने वाले का अनर्ह न होना उस राज्य के विधान-मण्डल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य लाभ का पद धारण किये हुए है;

(ख) यदि वह विकृतचित्त है तथा सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;

(ग) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है;

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा किसी विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से अर्जित कर चुका है, अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किये हुए है; और

(ङ) यदि वह संसद्-निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन इस प्रकार अनर्ह कर दिया गया है ।

संविधान में अग्रेतर उपबन्ध है कि कोई व्यक्ति भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला केवल इसीलिए नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है ।

इसके अतिरिक्त, सदस्यता के लिए अनर्हताओं संबंधी संविहित उपबन्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ७ से ९, १३९ और १४० में हैं। धारा १४० में विहित अनर्हताओं में भ्रष्ट आचरणों तथा धारा १३९ में साधारणतया निर्वाचन अपराधों का निर्देश है। शेष धाराओं में, संक्षेप में, ये उपबन्ध हैं कि कोई व्यक्ति संसद् के दोनों सदनों में से किसी सदन का या राज्य की विधान-सभा या विधान-परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिए अनर्ह होगा —

(क) यदि वह ऐसे किसी अपराध के या भ्रष्ट आचरण के लिए सिद्धदोष किया जा चुका है जिन्हें धारा १३९ या धारा १४० द्वारा ऐसा अपराध या आचरण घोषित किया जा चुका है जिससे सदस्यता के लिए अनर्हता हो जाती है, जब तक कि छः वर्ष न बीत चुके हों या निर्वाचन आयोग ने अनर्हता न हटा दी हो;

(ख) यदि वह किसी अपराध के लिए भारत में न्यायालय द्वारा सिद्धदोष किया जा चुका है और दो वर्ष से अन्यून कारावास के लिए दण्डादिष्ट कर दिया गया है, जब तक कि पांच वर्ष की कालावधि, या ऐसी कम कालावधि जैसी कि किसी विशिष्ट मामले में निर्वाचन आयोग नियत करे, उस की रिहाई के पश्चात् बीत न गयी हो;

(ग) यदि वह अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे उतने समय के भीतर और उस रीति से, जैसे कि इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, उपस्थित करने में असफल रहा है, जब तक कि तीन वर्ष बीत न गये हों या निर्वाचन आयोग ने अनर्हता हटा न दी हो;

(घ) यदि समुचित सरकार[८] को वस्तुओं के प्रदाय संबंधी या समुचित सरकार के किन्हीं कार्यों के निष्पादन या सेवाओं की पूर्ति संबंधी किसी संविदा में, स्वयं उसका, या उसकी ओर से न्यास के रूप में या अपने फायदे के लिए या उसके लेखे पर किसी व्यक्ति का, या व्यक्तियों के निकाय का, कोई अंश या हित है;

(ङ) यदि वह सहकारी संस्था को छोड़ कर अन्य किसी समवाय या निगम का, जिसमें कि समुचित सरकार का पच्चीस प्रतिशत से अन्यून अंश है, निदेशक या प्रबन्ध अभिकर्ता है या उसके अधीन कोई लाभ का पद धारण किये हुए है;

(च) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के, जिसमें देशी राज्य की सरकार भी सम्मिलित है, अधीन कोई पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया है, जब तक कि ऐसी पदच्युति के पश्चात् पांच वर्ष की कालावधि बीत न गयी हो।

यदि संविदा ऐसे सार्वजनिक समवाय[९] द्वारा की गई है जिसका उम्मीदवार केवल अंशधारी ही है, तो वह अनर्ह नहीं होगा। यदि संविदा किसी हिन्दू अविभक्त परिवार की ओर से उसके किसी सदस्य द्वारा की गई है तो उस परिवार का प्रत्येक सदस्य अनर्ह हो जायेगा। जहां संविदा में अंश या हित व्यक्ति को दाय द्वारा या उत्तराधिकार द्वारा या रिक्थी, निष्पादक या प्रशासक के रूप में प्राप्त हुआ है, वहां (घ) में वर्णित अनर्हता तब तक प्रभावी न होगी जब तक कि ऐसी प्राप्ति के पश्चात् छः मास या ऐसी दीर्घतर कालावधि, जैसी कि निर्वाचन आयोग किसी विशिष्ट मामले में नियत करे, बीत न जाये।

---

[८] "समुचित सरकार" का अर्थ संसद् के किसी सदन के लिये सदस्य चुने जाने या बनने के लिये अनर्हता के संबंध में केन्द्रीय सरकार है, और किसी राज्य की विधान-सभा या विधान-परिषद् के लिये सदस्य चुने जाने या बनने के लिये अनर्हता के सम्बन्ध में राज्य सरकार है।

[९] "सार्वजनिक समवाय" का अर्थ एक सार्वजनिक समवाय से है जैसे कि समवाय अधिनियम, १९५६ में परिभाषा दी गयी है।

नामनिर्देशन-पत्र

किसी निर्वाचन-क्षेत्र के सदस्य निर्वाचित करने के लिए समाहूत करने वाली अधिसूचना (प्रथम अधिसूचना) निकाली जाने पर तत्काल निर्वाचन आयोग के लिए राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित तारीखें नियुक्त करना अपेक्षित है[10] :—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख, अर्थात् प्रथम अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् दसवां दिवस;

(ख) नामनिर्देशनों की पड़ताल की तारीख, अर्थात् उपरोक्त (क) में नियुक्त अन्तिम तारीख के पश्चात् तीसरा दिवस;

(ग) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की अन्तिम तारीख, अर्थात् उपरोक्त (ख) में नियुक्त तारीख के पश्चात् तीसरा दिवस;

(घ) मतदान की तारीख या तारीखें—जो उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की अन्तिम तारीख के पश्चात् बीसवें दिवस से पहले नहीं होगी;

(ङ) वह तारीख जिस के पूर्व कि निर्वाचन समाप्त होना है ।

कोई व्यक्ति, जो किसी स्थान को भरने के लिए अन्यथा अर्ह है, उस स्थान के लिए उम्मीदवार के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा[11] ।

नामनिर्देशन पत्र का उपस्थापन तब मान्य होगा जब कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों :

(१) नाम निर्देशन पत्र को, विहित प्रपत्र पर पूरा भर कर उम्मीदवार तथा उस निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक निर्वाचक द्वारा प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षरित करके, स्वयं उम्मीदवार या प्रस्तावक निर्वाचन पदाधिकारी को उस स्थान पर जो कि उसके द्वारा निकाली गई सूचना में उल्लिखित हो, नामनिर्देशन के लिए अन्तिम तारीख को या उसके पूर्व ११ बजे मध्याह्न पूर्व और ३ बजे मध्याह्न पश्चात् के बीच, पेश करे ।

(२) यदि कोई स्थान रक्षित है तो नामनिर्देशन पत्र में उम्मीदवार की ओर से एक घोषणा होनी चाहिए जिसमें उस विशिष्ट जाति या आदिमजाति का उल्लेख हो जिसका कि वह सदस्य है और उस क्षेत्र का उल्लेख हो जिसके सम्बन्ध में कि वह जाति या आदिमजाति, यथास्थिति, उस राज्य में अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिमजाति है ।

(३) पदच्युत सरकारी कर्मचारी के विषय में, जबकि पदच्युति से पांच वर्ष की कालावधि समाप्त न हो चुकी हो, तो उसके नामनिर्देशन पत्र के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा

---

[10] धारा ३०, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ ।

[11] धारा ३८, वही ।

विहित रीति से दिया गया यह प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिए कि वह भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत नहीं किया गया है ।

(४) उम्मीदवार को वह निश्चित राशि जमा करनी या करवानी चाहिये जो संसद्, विधान-सभा या विधान-परिषद् के निर्वाचन-क्षेत्र से या निर्वाचिकगण निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के सम्बन्ध में अलग अलग विहित होगी ।

नामनिर्देशन पत्र उपस्थित किये जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी को अपना यह समाधान करना होता है कि नामनिर्देशन पत्र में उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक के नाम और निर्वाचिक नामावली संख्या वैसे ही है जैसे कि निर्वाचक नामावली में दर्ज हैं । किन्तु वह किसी लिपिकीय या प्राविधिक अशुद्धि को ठीक करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है ।

जहां उम्मीदवार किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक हो, वहां उसे निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचिक नामावली की प्रति या उसके संगत अंश की प्रमाणित प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित करनी होगी, यदि उसने नामनिर्देशन पत्र के साथ उसे संलग्न न किया हो ।

कोई उम्मीदवार एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र द्वारा नामनिर्देशित किया जा सकता है किन्तु उस के लिए एक ही राशि जमा करना अपेक्षित है ।

नाम निर्देशन पत्रों की पड़ताल

नामनिर्देशन पत्रों की पड़ताल के लिए नियत तारीख को, विशेष मामलों को छोड़कर, बदला नहीं जा सकता[११] । निर्वाचन पदाधिकारी को नामनिर्देशन पत्र की परीक्षा करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को सब युक्तियुक्त सुविधायें देनी होंगी और उम्मीदवार को उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता, एक प्रस्तावक और उसके द्वारा लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिकृत एक दूसरे व्यक्ति के साथ पड़ताल के समय और स्थान पर उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी ।

नामनिर्देशन पत्र रद्द करने के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं :—

(क) कि उम्मीदवार विधि तथा उपबन्धों के अधीन उस स्थान की पूर्ति के हेतु चुने जाने के लिए या तो अर्ह नहीं है या अनर्ह है;

(ख) कि नाम निर्देशन पत्र उपस्थित करने और मान्य नामनिर्देशन की अपेक्षाओं सम्बन्धी उपबन्धों में से किसी का अनुवर्तन नहीं किया गया है;

(ग) कि नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार या प्रस्तावक के हस्ताक्षर असली नहीं हैं ।

निर्वाचन पदाधिकारी को किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर, जो कि सारवान नहीं है, नामनिर्देशन पत्र को रद्द करने का अधिकार नहीं है । निर्वाचन पदाधिकारी को प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र पर अपना विनिश्चय लिखना होता है और रद्द किये जाने की अवस्था में तो उसे रद्द करने के अपने कारणों का संक्षिप्त विवरण भी अभिलिखित करना होगा ।

---

[११] धारा ३६, वही ।

पड़ताल समाप्त होने के पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी को तत्काल ही मान्य रूप में नाम निर्देशित उम्मीदवारों की सूची तैयार करके अपने सूचना-फलक (नोटिस बोर्ड) पर लगानी होती है।

जमा की जाने वाली राशियां

नामनिर्देशन पत्र के साथ, उम्मीदवार द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति की राशि, विधि के अनुसार, निम्नलिखित प्रकार होती है :—

(क) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के सम्बन्ध में पांच सौ रुपये।

(ख) विधान-सभा या विधान परिषद् के निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के सम्बन्ध म ढाई सौ रुपये।

[यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिमजाति का सदस्य हो, तो अपेक्षित राशि उपरोक्त (क) और (ख) में उल्लिखित राशि की आधी होती है।]

(ग) निर्वाचकगण निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन की अवस्था में पचास रुपये।

[यदि उम्मीदवार एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र द्वारा नामनिर्देशत किया गया हो तो उसे एक ही राशि जमा करनी होगी।]

जमा की गई राशि की जब्ती या लौटाया जाना

जमा की गई राशि का इस प्रकार निबाटारा किया जायेगा[१४] :—

(१) यदि किसी उम्मीदवार का नामनिर्देशन रद्द कर दिया जाये अथवा उम्मीदवार धारा ३७ की उपधारा (१) में उल्लिखित रीति से और समय के भीतर अपना नाम वापस ले ले तो उसकी ओर से जमा की गई राशि उस व्यक्ति को लौटा दी जायेगी जिसने कि वह राशि जमा की थी।

(२) जब कोई उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले ले तो जमा की गई राशि उसे इसी प्रकार वापस कर दी जायेगी।

(३) यदि कोई उम्मीदवार जो कि विधिवत् नामनिर्देशित हुआ हो और जिसने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस न लिया हो, मतदान प्रारम्भ होने से पहले मर जाये तो जमा की गई राशि, यदि उम्मीदवार ने स्वयं उसे जमा किया हो तो, उसके विधि रूप प्रतिनिधि को लौटा दी जायेगी। अन्यथा वह उस व्यक्ति को लौटा दी जायेगी जिसने कि उसे जमा किया था।

(४) यदि कोई उम्मीदवार निर्वाचित न हो, तो

(क) यदि उसे प्राप्त हुए मतों की संख्या कुल पड़े हुए मतों की संख्या के एक छठे भाग से अधिक न हो, अथवा एक से अधिक सदस्यों को निर्वाचित करने वाले निर्वाचन क्षेत्र की अवस्था में, कुल पड़े हुए मतों की कुल संख्या को निर्वाचित

---

[१३]धारा ३४, वही।

[१४]धारा १५८, वही।

किये जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या द्वारा भाग देने से आये भागफल के एक छठे भाग से अधिक न हो, तो जमा की गई राशि केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के पक्ष में, यथास्थिति, जब्त हो जायेगी।

(ख) यदि उम्मीदवार को प्राप्त हुए मतों की संख्या उपरोक्त (क) में उल्लिखित संख्या से अधिक हो तो, जमा की गई राशि राजकीय गजट में निर्वाचन फल के प्रकाशन के पश्चात, उस व्यक्ति को लौटा दी जायेगी जिसने उसे जमा किया था।

[उपरोक्त (क) और (ख) के प्रयोजन के लिये पड़े हुये मतों की कुल संख्या वह मानी जायेगी जो कि गिने हुए मत पत्रों की संख्या हो।]

६

निर्वाचन अभिकर्ता

निर्वाचन के लिए उम्मीदवार अपने से भिन्न किसी एक व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा। उम्मीदवार के लिये ऐसी नियुक्ति की सूचना निर्वाचन पदाधिकारी को विहित रीति[१५] से देना अपेक्षित है।

यदि कोई व्यक्ति संसद् के सदनों में से किसी सदन का या राज्य के विधान-मण्डल के सदन का या दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य होने के लिए या निर्वाचनों में मतदान करने के लिए अनर्ह है तो वह किसी निर्वाचन में तब तक निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अनर्हता विद्यमान रहती है[१६]।

उम्मीदवार यदि वह चाहे तो, अपने निर्वाचन-अभिकर्ता की नियुक्ति का खण्डन कर सकेगा। खण्डन उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और उस तारीख से प्रवर्तित होगा जिस तारीख को कि वह निर्वाचन पदाधिकारी के पास पेश किया जायेगा।

ऐसे खण्डन की या निर्वाचन अभिकर्ता की मृत्यु की अवस्था में, चाहे वह घटना निर्वाचन के पूर्व या दौरान में या निर्वाचन के पश्चात् किन्तु उम्मीदवार के निर्वाचन व्ययों के लेखे के विधि (धारा ७८) के उपबन्धों के अनुसरण में पेश किये जाने के पूर्व हुई हो, उम्मीदवार किसी अन्य व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता होने के लिए विहित रीति से नियुक्त कर सकेगा, और, यदि ऐसी नियुक्ति की जाये तो, नियुक्ति की सूचना निर्वाचन पदाधिकारी को विहित रीति से दी जायेगी[१७]।

---

[१५] धारा ४०, वही।
[१६] धारा ४१ और १४५ वही।
[१७] धारा ४२, वही।

१०

निर्वाचन व्यय

निर्वाचन व्ययों का लेखा और उसकी अधिकतम राशि

लोक-सभा और राज्य की विधान-सभा के लिए निर्वाचन का प्रत्येक उम्मीदवार अपने निर्वाचन संबधी उस सब खर्चे का, जो कि निर्वाचन के लिए समाहूत करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के और उस निर्वाचनफल की घोषणा की तारीख के; जिन के अन्तर्गत ये दोनों तारीखें भी हैं, बीच किया गया है, पृथक् और सही लेखा रखने के लिये बाध्य है[१८]।

निर्वाचन व्ययों के लेखे में निम्नलिखत बातें[१९] होंगी:—

(क) वह तारीख जिसको व्यय किया गया था प्राधिकृत किया गया था; (ख) व्यय का स्वरूप; (ग) व्यय की राशि; (घ) अदायगी की तारीख लेने वाले के नाम और पते सहित; (ङ) दत्त रकम की अवस्था में वाउचरों की क्रम संख्या और अदत्त शेष रकम की अवस्था में बिलों की क्रम संख्या; और (च) उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे कि अदत्त शेष रकम देय है।

व्यय की प्रत्येक मद के लिए वाउचर प्राप्त किया जायेगा जब तक कि व्यय ऐसा न हो कि वाउचर प्राप्त करना व्यवहार्य न हो।

किसी उम्मीदवार द्वारा किसी निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के सम्बन्ध में किया गया कुल व्यय उस अधिकतम धन राशि से अधिक नहीं होगा जो उस निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिका) नियम, १९५६ के नियम १३५ म उल्लिखित है।

लेखे का निर्वाचन पदाधिकारी के पास पेश किया जाना

निर्वाचित उम्मीदवार/उम्मीदवारों के निर्वाचन की तारीख से ३० दिन के अन्दर, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक उम्मीदवार अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे की एक सही प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के पास पेश करेगा। निर्वाचन पदाधिकारी लेखा पेश किये जाने के पश्चात् दो दिन के अन्दर एक सूचना अपने सूचना-फलक पर लगवायेगा जिसमें अन्य बातों के साथ, वह समय और स्थान भी उल्लिखित होंगे, जब कि उस लेखे का निरीक्षण[२०] किया जा सकता है।

निर्वाचन पदाधिकारी के पास से निर्वाचन व्ययों के लेखों के पेश किये जाने के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, निर्वाचन आयोग[२१] उन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम राजकीय गजट

---

[१८] लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ धारा ७७।

[१९] लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचन का संचालन और निर्वाचन याचिका) नियम, १९५६ का नियम १३१।

[२०] लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ धारा ७८।

[२१] लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिका) नियम, १९५६ का नियम १३४।

में अधिसूचित करेगा जिन्होंने, उसके विनिश्चय के अनुसार निर्वाचन व्ययों के लेखे उस समय के अन्दर और उस रीति से जो कि विधि के अधीन अपेक्षित है, पेश नहीं किये हैं, और प्रत्येक ऐसे उम्मीदवार को उस विनिश्चय की जानकारी भी देगा, जिससे कि वह-उम्मीदवार संसद् की या राज्य के विधानमण्डल की सदस्यता के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए अनर्ह हो जायेगा, यदि सम्बन्धित पक्ष द्वारा अभ्यावेदन पेश किये जाने पर निर्वाचन आयोग अपने विनिश्चय पर पुनः विचार करके इस अनर्हता को हटा न दे।

११

भ्रष्ट आचरण

निर्वाचनों[१०] के प्रयोजनों के लिए उम्मीदवार, उसके अभिकर्ता या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की गयी निम्नलिखित बातें भ्रष्ट आचरण में सम्मिलित हैं:—

१. घूस, अर्थात्—

(क) व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन में खड़े होने या खड़े न होने या उम्मीदवारी से नाम वापिस लेने या निर्वाचन-प्रतियोगिता से निवृत्त हो जाने के लिए;

(ख) निर्वाचन में मतदान करने या करने से विरत रहने के लिए, निर्वाचक को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, प्रलोभित करने के उद्देश्य से, कोई दान, या परितोषण की पेशकश या प्रतिज्ञा।

२. अनुचित असर डालना, अर्थात्, किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में किया गया कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप या हस्तक्षेप की चेष्टा। अनुचित असर में सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से छेकने या निकालने, या दैवी प्रकोप या आध्यात्मिक परिनिन्दा की धमकी देना सम्मिलित है।

३. जाति, मूलवंश, समुदाय या धर्म के आधारों पर मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने की व्यवस्थाबद्ध अपील, या धार्मिक और राष्ट्रीय प्रतीकों का प्रयोग या अपील।

४. किसी उम्मीदवार के वैयक्तिक चरित्र या आचार, या उम्मीदवारी या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने, या निर्वाचन प्रतियोगिता से निवृत्त होने के सम्बन्ध में मिथ्या वक्तव्य।

५. किसी निर्वाचक को किसी मतदान केन्द्र से लाने या वहां पहुंचाने के लिए किसी यान या जलयान को, धन देकर किराये पर लेना या अन्यथा प्राप्त करना।

६. धारा ७७ के उल्लंघन में व्यय[११] उपागत करना या प्राधिकृत करना।

७. सरकार की सेवा की कुछ विशिष्ट श्रेणियों के किसी व्यक्ति से उम्मीदवार के निर्वाचन की सम्भाव्यता को बढ़ाने के लिए कोई सहायता अभिप्राप्त या प्राप्त करना, या अभिप्राप्त या प्राप्त करने का दुस्साहस या उसकी चेष्टा।

---

[१०]धारा १२३—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१।

[११]वही।

१२

निर्वाचन सम्बन्धी अपराध

निर्वाचन[१४] सम्बन्धी अपराधों में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :—

(१) उस तारीख या उन तारीखों को, जिसको या जिनको कि मतदान किया जाता है, किसी मतदान क्षेत्र के भीतर किसी सार्वजनिक सभा का बुलाना, करना या उसमें उपस्थित होना;

(२) सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन-क्षेत्र को समाहूत करने वाली अधिसूचना के निकाले जाने की तारीख के और उस तारीख के, जिस को कि निर्वाचन होता है, बीच किसी निर्वाचन-क्षेत्र में राजनैतिक स्वरूप की किसी सार्वजनिक सभा में विश्रृंखल रीति में कार्य करना या दूसरों को ऐसा करने के लिए उकसाना;

(३) मतदान की गोपनीयता को बनाये रखने के उपबन्धों का उल्लंघन;

(४) किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की सम्भाव्यता को बढ़ाने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी या सहायक निर्वाचन पदाधिकारी, या निर्वाचन में पीठासीन अथवा मतसंग्रह पदाधिकारी, या ऐसा पदाधिकारी या लिपिक का, जिसे कि निर्वाचन पदाधिकारी या पीठासीन पदाधिकारी ने नियुक्त किया हो, कोई कार्य (मत देने से भिन्न);

(५) उस तारीख को या उन तारीखों को जिसको या जिनको कि मतदान किया जाना है, किसी मतदान केन्द्र के एक सौ गज की दूरी के अन्दर, किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी कार्य :—

मतों के लिए याचना करना, किसी निर्वाचक के मत की प्रयाचना करना, निर्वाचन में किसी विशिष्ट उम्मीदवार के लिए मत न देने या उस में बिल्कुल मत न देने के लिए किसी निर्वाचक को मनाना, या निर्वाचन के सम्बन्ध में (शासकीय सूचना से भिन्न) किसी सूचना या प्रतीक का प्रदर्शन करना;

(६) विश्रृंखल आचार, जिसमें किसी मतदान केन्द्र के अन्दर या उसके पड़ोस में मानवीय ध्वनि के विस्तारण या प्रत्युत्पादन के लिए किसी यंत्र का प्रयोग भी सम्मिलित है;

(७) मतदान केन्द्र में दुराचार और पीठासीन पदाधिकारी के विधिपूर्ण निदेशों की अवज्ञा;

(८) निर्वाचनों में यान को अवैध रूप से किराये पर लेना या प्राप्त करना;

(९) निर्वाचनों के संचालन या उनको कराने से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपने पद के कर्तव्य का भंग करना;

(१०) मतदान केन्द्रों से मत-पत्रों को हटाना।

---

[१४] धारा १२६ से १३६, वही।

निर्वाचन सम्बन्धी अन्य अपराधों में से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :—

(क) किसी नामनिर्देशन-पत्र, मतपत्र या मतपत्र पर के राजकीय चिह्न को कपट पूर्वक विरूपित करना या विनष्ट करना;

(ख) निर्वाचन पदाधिकारी के प्राधिकार के अधीन निकाली गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपट-पूर्वक विरूपित करना, विनष्ट करना या हटाना;

(ग) उचित प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र प्रदत्त करना या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करना या कोई मतपत्र अपने पास रखना; और

(घ) मत-पेटी को किसी प्रकार छेड़ना, तोड़ना या विनष्ट करना।

१३
निर्वाचन याचिका

संसद् के दोनों सदनों अथवा किसी राज्य के विधान-मण्डल के किसी निर्वाचन पर विधि[*] के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचन आयोग के समक्ष एक याचिका पेश करके आपत्ति की जा सकती है।

निर्वाचन याचिकाओं के देने के लिए आधार

निर्वाचन याचिका निम्नलिखित कारणों में से किसी एक या एक से अधिक पर आधारित होनी चाहिए :—

(क) कि निर्वाचित उम्मीदवार अपने निर्वाचन की तारीख को स्थान भरने के हेतु चुने जाने के लिए वैधानिक दृष्टि से अर्ह नहीं था; या

(ख) कि निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने कोई भ्रष्ट आचरण किया या भ्रष्ट आचरण के करने की अनुमति दी; या

(ग) कि कोई नामनिर्देशन-पत्र अनुचित रूप से रद्द किया गया है; या

(घ) कि जहां तक कि निर्वाचित उम्मीदवार से निर्वाचन-फल का सम्बन्ध है, वहां तक निर्वाचन का फल—

(१) किसी नामनिर्देशन-पत्र के अनुचित प्रतिग्रहण द्वारा, या

(२) ऐसे किसी भ्रष्ट आचरण द्वारा जो कि उस उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता या उनकी अनुमति से कार्य करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति ने निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किया है, या

(३) किसी मत को अनुचित रूप से, लेने से इन्कार करने या रद्द करने के कारण, या किसी ऐसे मत के लेने के कारण, जो कि शून्य हो, या

(४) संविधान के या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या आदेशों के उपबन्धों के किसी अननुवर्तन द्वारा;

सारतः प्रभावित हुआ है।

याचिका देने का समय

निर्वाचन याचिका—

(१) याचिका देने वाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि याचिका देने वाले व्यक्ति द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो, या

---

[*] धारा ८० से ८४—वही; और भारत का संविधान का अनुच्छेद ३२९।

(२) रजिस्ट्री डाक द्वारा ताकि वह निर्वाचन आयोग के पास उसके दिये जाने की अन्तिम तारीख तक पहुंच जाय,

इस तारीख से, जो कि निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन की तारीख है और यदि निर्वाचन में एक से अधिक निर्वाचित उम्मीदवार हैं जिनके निर्वाचन की तारीखें भिन्न हैं, तो उन तारीखों में से बाद की तारीख से, ४५ दिन के भीतर दी जानी चाहिए और निर्वाचन आयोग के सचिव या ऐसे अन्य पदाधिकारियों को, जिन्हें इस निमित्त नियुक्त किया जाय, दी जानी चाहिए ।

याचिका के पक्षकार

याचिका के प्रत्युत्तरदाता निम्नलिखित होंगे :—

(क) सब निर्वाचित उम्मीदवार, उस अवस्था में जब कि याचिकादाता इस घोषणा के लिए दावा करता है कि सब निर्वाचित उम्मीदवारों या उनमें से किसी का निर्वाचन शून्य है; निर्वाचन लड़ने वाले सब उम्मीदवार, उस अवस्था में जब कि वह इसके अतिरिक्त इस घोषणा के लिए भी दावा करता है कि वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार विधिवत् निर्वाचित हो गया है; और

(ख) अन्य कोई उम्मीदवार जिसके खिलाफ याचिका में किसी भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाये गये हैं ।

याचिका की विषय-वस्तु

याचिकादाता से अपेक्षित है कि वह अपने द्वारा हस्ताक्षरित और उस रीति में सत्यापित, जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता, १९०८ में बताई गई है, याचिका में उन सारवान तथ्यों का जिन पर वह भरोसा रखता है, यथावत् कथन करेगा और किसी भ्रष्ट आचरण के सम्बन्ध में, जिस का वह आरोप लगाता है, पूरी विशिष्टियां, उन पक्षकारों के नामों के यथाशक्य पूर्ण ब्योरे सहित, जिनकी बाबत यह आरोप है कि उन्होंने ऐसा भ्रष्ट आचरण किया है, प्रस्तुत करेगा ।

प्रतिभूति

निम्नलिखित मामलों में प्रतिभूति का जमा किया जाना विधि[११] द्वारा अपेक्षित है :-

(क) निर्वाचन याचिका देने वाले किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन आयोग के सचिव के पक्ष में या तो सरकारी खजाने या भारत के रक्षित बैंक में १,००० रुपये ;

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, जो किसी निर्वाचन याचिका के प्रत्युत्तरदाता के रूप में सम्मिलित किये जाने के लिये आवेदन करता है, ऐसी प्रतिभूति, जैसी कि न्यायाधिकरण निदेश दे ;

(ग) उस व्यक्ति द्वारा, जो प्रत्यभिस्कन्दन करता है, आरम्भ होने की तारीख से १४ दिन के भीतर १,००० रुपये जमा किये जायेंगे ।

---

[११]लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ धारा ९७, ११५ से ११९, ११९क और १२१।

(घ) ऐसी भी और प्रतिभूति जिसे निर्वाचन याचिका का परीक्षण करने वाला न्यायाधिकरण किसी याचिकादाता या किसी प्रत्यभिस्कन्दन करने वाले प्रत्युत्तरदाता को जमा करने का निदेश दे ;

(ङ) उस व्यक्ति द्वारा, जो किसी ऐसे याचिकादाता के जो मर जाता है या जिसे याचिका से अपना नाम वापस लेने की अनुमति मिल जाती है, या जो किसी ऐसे प्रत्युत्तरदाता के, जो मर जाता है या अपना नाम वापस ले लेता है, बदले में अपने को रखवा लेता है, १,००० रुपये जमा किये जायेंगे ;

(च) उस व्यक्ति द्वारा, जो न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध अपील उपस्थित करता है, उपरोक्त (क) में उल्लिखित रीति से ५०० रुपये ।

याचिकादाता या प्रत्युत्तरदाता के विरुद्ध अधिनिर्णीत किन्हीं खर्चों की अदायगी करने के पश्चात् जो प्रतिभूति या उसका कोई अंश बच जायेगा वह संबंधित व्यक्ति को वापिस कर दिया जायेगा और, ऐसी अवस्था में, जिसमें कि ऐसा व्यक्ति मर गया हो, उसके विधिरूप प्रतिनिधि को वापिस कर दिया जायेगा। ऐसी राशि निर्वाचन याचिका पर न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये आदेश के शासकीय गजट में प्रकाशित होने के छः मास की कालावधि के अन्दर आवेदन किये जाने पर ही लौटाई जायेगी ।

१४

निर्वाचन न्यायाधिकरण और निर्वाचन याचिकाओं का परीक्षण"

निर्वाचन न्यायाधिकरण

निर्वाचन आयोग एक-सदस्यीय निर्वाचन न्यायाधिकरण गठित करेगा जिसमें एक सेवारत जिला न्यायाधीश" होगा और निर्वाचन याचिका की एक प्रति राजकीय गजट में प्रकाशित करवान और उसकी एक-एक प्रति प्रत्येक प्रत्युत्तरदाता पर डाक द्वारा तामील करवाने के बाद उस निर्वाचन याचिका को परीक्षण के लिये निर्वाचन न्यायाधिकरण को सौंप देगा।

न्यायाधिकरण किसी ऐसे स्थान में बैठकर याचिका का परीक्षण करेगा जैसे कि निर्वाचन आयोग नियुक्त करे; किन्तु यदि परीक्षण के किसी भाग के लिये किसी अन्य स्थान म बैठना आवश्यक हो तो न्यायाधिकरण उस स्थान में बैठ सकेगा बशर्ते कि वह स्थान उसी राज्य में हो, जिसमें वह निर्वाचन हुआ हो जो कि उस याचिका की विषय-वस्तु है।

यदि एक ही निर्वाचन के संबंध में एक से अधिक याचिकायें दी जायें तो निर्वाचन आयोग उन सब को एक ही न्यायाधिकरण को सौंप देगा। किन्तु न्यायाधिकरण उनका पृथक्तः या एक साथ या कुछ का एक साथ परीक्षण कर सकता है।

निर्वाचन आयोग न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित किसी याचिका को, किसी प्रक्रम में, पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात् और ऐसे कारणों से जिन्हें अभिलिखित किया जायेगा, वापिस ले सकेगा और दूसरे न्यायाधिकरण को परीक्षण के लिये हस्तांतरित कर सकेगा, और ऐसे हस्तान्तरण पर वह न्यायाधिकरण उस प्रक्रम से परीक्षण में अग्रसर होगा जिसमें से कि वह वापिस ली गई थी, परन्तु यदि वह ऐसा करना ठीक समझे तो वह उन साक्षियों में से, जिनसे पहले ही पृच्छा की जा चुकी है, किसी को पुनः समाहूत कर सकेगा और उससे पुनः पृच्छा कर सकेगा।

परीक्षण के लिये प्रक्रिया

किसी निर्वाचन याचिका के परीक्षण के लिये, जहां तक हो सके, वही प्रक्रिया होगी जो कि वादों के परीक्षण के लिये व्यवहार प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित है। जहां तक साक्ष्य को अभिलिखित करने का संबंध है, न्यायाधिकरण, जब तक कि कोई विशेष कारण न बताया जाये, किसी साक्षी के साक्ष्य का केवल ज्ञापन तैयार कर सकता है, या किसी साक्षी से पृच्छा करने से इन्कार कर सकता है यदि उसका यह निर्णय है कि साक्ष्य असंगत है या कार्यवाही में विलम्ब करने के लिये ही दिया जा रहा है।

प्रत्येक निर्वाचन याचिका का परीक्षण यथासाध्य शीघ्रता से करना होता है और यह प्रयास करना होता है कि परीक्षण, याचिका की प्रति के राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तारीख से, छः मास के अन्दर समाप्त हो जाये।

"धारा ८६ से ९०, ९८, ९९, १०७, ११६ क और ११६ ख—वही।

"यदि निर्वाचन आयोग वांछनीय समझे तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा जो कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो।

न्यायाधिकरण द्वारा परीक्षण के प्रारम्भ होने की तारीख से चौदह दिन के अन्दर कोई उम्मीदवार प्रत्युत्तरदाता बनाये जाने के लिये आवेदन कर सकेगा बशर्ते कि उसने खर्चों के लिये प्रतिभूति दे दी हो।

न्यायाधिकरण के विनिश्चय

निर्वाचन याचिका के परीक्षण के समाप्त होने पर न्यायाधिकरण जो आदेश देगा उसके द्वारा—

(क) निर्वाचन याचिका को रद्द किया जायेगा; या

(ख) सब निर्वाचित उम्मीदवारों का या उनमें से किसी का निर्वाचन शून्य घोषित किया जायेगा ; या

(ग) सब निर्वाचित उम्मीदवारों या उन में से किसी के निर्वाचन को शून्य और याचिकादाता या किसी अन्य उम्मीदवार को विधिवत् निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

निर्वाचन याचिका का अन्तिम रूप से निबटारा करते समय न्यायाधिकरण को, उस अवस्था में, जिसमें कि याचिका में यह आरोप किया गया हो कि निर्वाचन में कोई भ्रष्ट आचरण किया गया, यह निष्कर्ष प्रस्तुत करना होता है कि क्या निर्वाचन में किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता द्वारा या उसकी सम्मति से कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है या नहीं। इसके अतिरिक्त, न्यायाधिकरण को उन सब व्यक्तियों के, यदि कोई हों, नाम अभिलिखित करने होते हैं जिनके विषय में परीक्षण में यह सिद्ध हुआ है कि वे किसी भ्रष्ट आचरण के लिये दोषी हैं और उस भ्रष्ट आचरण के स्वरूप को भी अभिलिखित करना होता है। यदि वह यह समझता है कि याचिका के खर्चों की राशि दी जानी चाहिये तो उसे यह आदेश भी देना होता है कि वह किस के द्वारा दी जायेगी।

न्यायाधिकरण का प्रत्येक आदेश न्यायाधिकरण द्वारा सुनाये जाने पर ही प्रभावशील होगा। यदि आदेश द्वारा यह घोषणा की गई है कि निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य है तो वे कार्य और कार्यवाही जिनमें कि निर्वाचित उम्मीदवार ने उस तारीख तक संसद या राज्य के विधानमंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया था, उस आदेश के कारण ही अमान्य न हो जायेंगी और न ऐसा उम्मीदवार इस प्रकार भाग लेने के आधार पर किसी दायित्व या शास्ति के अध्यधीन ही किया जायेगा।

अपील

न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये किसी आदेश की अपील उस राज्य के उच्च न्यायालय में की जा सकेगी जिसमें न्यायाधिकरण स्थित है। अपील न्यायाधिकरण के आदेश की तारीख से तीस दिन की कालावधि के अन्दर उपस्थित की जानी चाहिये परन्तु यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपेक्षित कालावधि के अन्दर अपील उपस्थित न करने के लिये पर्याप्त हेतु अपीलार्थी के पास था तो वह तीस दिन की इस कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा। पर्याप्त हेतु संदर्शित किये जाने पर उच्च न्यायालय उस आदेश का, जिसके खिलाफ अपील की गई है, प्रवर्तन रोक सकेगा।

प्रत्येक अपील यथासाध्य शीघ्रता से, अधिमानतः उस तारीख से, जिस तारीख को कि अपील का ज्ञापन उच्च न्यायालय में उपस्थित किया गया हो, तीन मास के अन्दर विनिश्चित की जाती है। अपील पर उच्च न्यायालय का विनिश्चय अन्तिम और अकाट्य है।

१५

इच्छुक उम्मीदवारों के लिए उपयोगी बातें

इच्छुक उम्मीदवार को—

१. सब से पहले उस निर्वाचन-क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए जिस से वह निर्वाचित होने का इच्छुक हो;

२. यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि निर्वाचक-नामावली में उसके नाम की प्रविष्टि है; उसे पड़ताल के समय सम्भव आपत्तियों का समाधान करने के लिए निर्वाचक-नामावली की प्रतिलिपि, या प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रतिलिपि भी, जिसमें उसका नाम दिया हो, प्राप्त कर लेनी चाहिए;

यदि उसका नाम निर्वाचक-नामावली में प्रविष्ट न हो, तो उसे अधिकार है कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० (१९५६ के अधिनियम २ द्वारा संशोधित रूप में) की धारा २३ और लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचन नामावलियों का तैयार करना) नियम, १९५६ के नियम २६ के अधीन अपना नाम इस प्रकार प्रविष्ट करा सकता है।

३. उस अधिसूचना को देख लेना चाहिए जिसमें उस निर्वाचन-क्षेत्र को सदस्य या सदस्यों का निर्वाचन करने के लिये समाहूत किया गया है;

४. भारत के रक्षित बैंक या सरकारी खजाने में आवश्यक निक्षेप करना चाहिए और उसकी रसीद को अपने नामनिर्देशन-पत्र के साथ उपस्थित करना चाहिए;

[एक ही निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक या एक से अधिक नामनिर्देशन-पत्रों के लिए एक राशि जमा करना पर्याप्त है, परन्तु यदि वह एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचन में खड़ा होना चाहता है तो प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए अलग अलग राशि जमा करना आवश्यक है।

नामनिर्देशन-पत्र या पत्रों को उपस्थित करते समय नक़द रक़म भी जमा की जा सकती है।]

५. यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिमजाति का हो तो उसे सुसंगत घोषणा भरवाकर पहले से ही किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करा देनी चाहिए;

[ऐसे किसी उम्मीदवार को यों तो किसी सामान्य स्थान के लिए चुनाव लड़ने का विकल्प होगा।]

६. अपनी आयु का प्रमाण, विशेषतया जब कि उसकी आयु वैध न्यूनतम आयु के निकट है, तैयार रखना चाहिए;

७. एक से अधिक नामनिर्देशन-पत्रों की अवस्था में अपने प्रस्तावक या प्रस्तावकों का चुनाव यह सुनिश्चित करने के बाद कर लेना चाहिए कि वे उम्मीदवार के निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक-नामावली में पंजीबद्ध हैं और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा १६ के अधीन अनर्ह नहीं हैं;

८. यह देखना चाहिए कि नामनिर्देशन-पत्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ३० के अधीन, अपेक्षित रूप में, परिनियत प्रपत्र पर पूरी तरह से भरा जाता है;

[नामनिर्देशन-पत्र उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और निर्वाचन-पदाधिकारी को उस स्थान पर, जो कि उसके द्वारा इस निमित्त उल्लिखित किया गया है, नामनिर्देशन उपस्थित करने की अन्तिम तारीख को या उसके पूर्व दिया जाना चाहिए ।]

९. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्वाचन-पदाधिकारी नामनिर्देशन-पत्र पर उसकी क्रम-संख्या प्रविष्ट करता है और प्रपत्र के उस भाग में, जिसमें नामनिर्देशन-पत्र दिये जाने का प्रमाण-पत्र अन्तर्विष्ट है, प्रविष्टि करता है और उस पर हस्ताक्षर करता है;

१०. नामनिर्देशन-पत्रों की पड़ताल के लिए नियत तारीख, समय और स्थान का पता निर्वाचन-पदाधिकारी से लगाना चाहिये;

११. अपने निर्वाचन अभिकर्त्ता को चुनना चाहिए और उसकी सूचना निर्वाचन-पदाधिकारी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ४० के अधीन अपेक्षित विहित रीति में देनी चाहिए;

१२. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा ३५ के अधीन निर्वाचन-पदाधिकारी द्वारा निकाली गयी सूचनाओं का समय-समय पर पड़ताल के दिन तक अध्ययन करना चाहिए;

१३. निर्वाचन सम्बन्धी हुए सब खर्चे का पृथक् और सही हिसाब रखना चाहिए;

१४. निर्वाचित उम्मीदवार को निर्वाचन की तारीख के ३० दिन के भीतर अपने निर्वाचन खर्चे के हिसाब की एक सही प्रति निर्वाचन-पदाधिकारी को देनी चाहिए;

१५. सावधानीपूर्वक ध्यान रखना चाहिए कि भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों में क्या-क्या बातें सम्मिलित हैं ।

GIPD—L.S. III—2310 L.S.—9-2-57—1000